

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : लेखा-13()/चोरी/गबन/विविध/2024/

दिनांक :

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ -समस्त।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी - समस्त।
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी - समस्त।

विषय- चोरी/गबन प्रकरणों के संबंध में।

संदर्भ- राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक के कार्यवाही विवरण क्रमांक 3494 दिनांक 27.12.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रमुख शासन सचिव महोदया, द्वारा राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक में लम्बित चोरी/गबन प्रकरणों को अत्यन्त गंभीरता से लिया गया है। साथ ही निर्देशित किया गया है कि चोरी/गबन के जिन प्रकरणों में वसूली पर कोर्ट स्टे नहीं है उन प्रकरणों में शीघ्र ही वसूली की जावें। अतः समस्त अधीनस्थ कार्यालय को निर्देशित किया जाता है की चोरी/गबन प्रकरणों में वसूली पर कोर्ट स्टे नहीं होने की दशा में शीघ्र वसूली की जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

sd
निदेशक (जन-स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर।

क्रमांक : लेखा-13()/चोरी/गबन/विविध/2024/153

दिनांक : 13/1/25

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन-स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर।

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :11-01-2025 11:44:16